राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1340/2011/जोधपुर

मैसर्स सरस्वती आर्ट पैलेस इन्टरनेशनल,
बोरानाडा, जोधपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उडनदस्ता, आबूरोड, सिरोही।

हाल– सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, पाली। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय

उपस्थित : :

श्री सुभाष सैठिया,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 03.08.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) जोधपुर–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 4/आरवेट/जेयूबी/09–10 में पारित आदेश दिनांक 25.02.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, सीमावर्ती उडनदस्ता, आबूरोड (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) में आरोपित शास्ति राशि रुपये 1,36,236/– को यथावत रखा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 03.02.2009 को वाहन संख्या आर.जे.–19/1जी–8742 को रूकवाकर चैक किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ इनवॉइस पर संख्या 1669 दिनांक 02.02.2009 पाई गई एवं वैट–47 में प्रस्तुत बिल संख्या 1669 अंकित न होकर अन्य बिल संख्या 1668 अंकित पायी गयी, तथा माल की मात्रा व मूल्य की घोषणा नहीं पायी गई। जिससे सशक्त अधिकारी द्वारा करापवंचना के संदेह पर व्यवहारी को अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् कारण बताओ नोटिस जारी किया, नोटिस की अनुपालना में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जवाब पेश किया गया, जिसमें माल की मात्रा व मूल्य की घोषणा संबंधी कोई बात अंकित नहीं की गई। सशक्त अधिकारी द्वारा घोषणा पत्र वैट–47 को आधा–अधूरा भरा मानकर प्रत्यर्थी व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति राशि रूपये 1,36,236/– का आरोपण कर दिया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध

क्रमशः.....2

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर दी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आयातित माल के साथ बिल, बिल्टी एवं वैट–47 थे, परन्तु लिपिकीय त्रुटिवश वैट–47 में कुछ कॉलम रिक्त रह गये थे, इस पर व्यवहारी की करापवंचना की कोई मनोदशा नहीं थी। उपर्युक्त आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी के आदेशों को निरस्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी ने करापवंचन की दृष्टि से माल के साथ वैट–47 में परिवहनित माल का मूल्य व मात्रा की घोषणा न करके आधा–अधूरा भरा था। उनका कथन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मै0 गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, 18 टैक्स अपडेट 321 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि माल परिवहन के दौरान दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने अथवा अपूर्ण होने पर, कर चोरी की मंशा को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड का अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माल का परिवहन किया जा रहा था, एवं परिवहनित माल के साथ वैट–47 में माल का मूल्य, माल की मात्रा/वजन के कॉलम रिक्त पाये गये है, जो **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, 18 टैक्स अपडेट 321** के प्रकरण में दिये गये निर्णय के अनुसार Material Particulars है जो प्रस्तुत फॉर्म में नही पाये गये। अतः Material Particulars के अभाव में प्रस्तुत किया गया वैट–47 फॉर्म का कोई महत्व नहीं है। प्रस्तुत अपील में कोई नया बिन्दु नहीं आया है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलौक में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी का आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

3/8/17

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य